कार्यालय जिला पंचायत दमोह

<u>कार्य आदेश</u>

क्रमांक क/एम.डी.एम जि.पं./2019/ . दमोह, दिनांक : 13/08/2019

दमोह शहरी क्षेत्र की शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु नवीन शासन मापदण्डों के अनुरूप स्वयं सेवी अशासकीय संस्थाओं को संबद्व करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2961 दमोह, दिनांक 01.07.19 के द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थी।

इस हेतु म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 8747 दिनांक 26.07.16 में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया एवं गठित समिति के समक्ष दिनांक 29.07.2019 को समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में निविदाएँ खोली गई ।

आज दिनांक 13.08.19 को चयनित समिति द्वारा म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 8747/22/वि–9/एम.डी.एम./16 भोपाल, दिनांक 26.7.16 एवं पत्र क्रमांक 16306/22/वि–9/एम.डी.एम./2011 भोपाल, दिनांक 17.11.2011 में प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में संस्थाओं को शार्ट लिस्टिंग हेतु निर्धारित स्केल/मापदण्डों के आधार पर अंक निर्धारित किए जाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त स्वयं सेवी संस्था **घनश्याम सेवा समिति दिल्ली** को चयनित किया गया।

(कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित)

13/8/19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, दमोह

क्रमांक क/एम.डी.एम जि.पं./2019/ दमोह, दिनांक : 13/08/2019

प्रतिलिपि :–

1. राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन.आई.सी. दमोह
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास दमोह
6. जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दमोह की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
8. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण दमोह ।
9. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग दमोह की ओर सूचनार्थ ।

13/8/19.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, दमोह